



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266185
CG-DL-E-16092025-266185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 595]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 639(अ).— केंद्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:-

- (1) इन नियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2014 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के, -

(क) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(1) अध्यक्ष के पास भारत सरकार के सचिव के लिए स्वीकार्य वेतन 5,62,500 रुपये प्रति माह का समेकित वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा, जिसमें आवास और कार की सुविधा नहीं होगी।

(2) प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य को अपर सचिव, भारत सरकार को स्वीकार्य वेतन या 5,00,000 रुपये प्रति माह का समेकित वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा, जिसमें आवास और कार की सुविधा नहीं होगी।

(ख) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(3) किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में क्रमशः सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार को स्वीकार्य वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जैसा भी मामला हो, और जो पेंशन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि या अन्य निधियों या सेवानिवृत्ति लाभों में नियोक्ता के अंशदान के माध्यम से किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ को प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, या प्राप्त करने के हकदार हो गये हैं, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और भत्ते को पेंशन की सकल राशि और ग्रेच्युटी के पेंशन समकक्ष या अंशदायी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति लाभ के किसी अन्य रूप, यदि कोई हो, में नियोक्ता के अंशदान से कम किया जाएगा, जो उसके द्वारा लिया गया है या लिया जाना है।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"5क. महंगाई भत्ता - अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जिन्होंने क्रमशः सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार को स्वीकार्य वेतन का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार के समूह 'क' अधिकारी को स्वीकार्य दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"6क. (1) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार के वेतन ढांचे का विकल्प चुनते हैं तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से यह पुष्टि की जा सकती है कि क्या सामान्य पूल आवासीय आवास उपलब्ध कराया जा सकता है और सामान्य पूल आवासीय आवास का आवंटन न होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आवास किराया भत्ता प्रदान किया जा सकता है।

(2) आवास में खपत होने वाले पानी, बिजली और ईंधन का शुल्क घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) इस नियम की कोई भी बात उस अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य पर लागू नहीं होगी जिसने समेकित वेतन का विकल्प चुना है।

[फा. सं. 11/5/2014-पीआर]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में 20 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 2 अगस्त, 2017 के सा.का.नि. 987 (अ), 2 जनवरी, 2018 के सा.का.नि. 7 (अ), 11 अक्टूबर, 2021 के सा.का.नि. 731(अ), 22 मार्च, 2023 के सा.का.नि. 209 (अ) और 8 जुलाई, 2024 के सा.का.नि. 372 (अ) की अधिसूचना संख्याओं के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2025

G.S.R. 639(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 51 read with sub-section (3) of section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, (hereafter referred to as the said rules) in rule 5, -

(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rule (s) shall be substituted, namely : -

“(1) The Chairperson shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary to the Government of India or a consolidated salary of Rs. 5,62,500 per month without facility of house and car.

(2) Every whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India or a consolidated salary of Rs. 5,00,000 per month without facility of house and car”;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3) In the case of an appointment of a person as the Chairperson or a whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary or Additional Secretary to the Government of India, respectively, who has retired from service under the Central Government or the State Government, as the case may be, and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or other Funds or retirement benefits, the pay and allowances of such Chairperson or member shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him”.

3. In the said rules, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-

“5A. Dearness allowance. - The Chairperson or a whole-time member who has opted pay as admissible to a Secretary or Additional Secretary to the Government of India, respectively, shall receive dearness allowance at the rates admissible to a Group ‘A’ Officer of the Central Government”.

4. In the said rules, after rule 6 the following rule shall be inserted, namely : -

“6A. (1) In case the Chairperson or a whole-time member opts for Central Government pay structure, it may be confirmed from the Ministry of Housing and Urban Affairs whether General Pool Residential Accommodation

may be provided and in case of non-allotment of General Pool Residential Accommodation, the HRA may be granted as per extant instructions issued by the Central Government in this behalf.

(2) Charges for water, electricity and fuel consumed in the house shall be borne by the occupant of the house.

(3) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson and a whole-time member who has opted a consolidated salary”.

[F. No. 11/5/2014-PR]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 597 (E), dated the 20th August, 2014, and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 987 (E), dated the 2nd August, 2017, G.S.R. 7 (E), dated the 2nd January, 2018, G.S.R. 731 (E), dated the 11th October, 2021, G.S.R. 209 (E), the dated 22nd March, 2023, and G.S.R. 372 (E), dated the 8th July, 2024.